# जनपद शामली पुलिस

**--सोशल मीडिया सेल शामली--**

प्रेस विज्ञप्ति                                                                                दिनांक-29.07.2025

**प्रेस नोट**

**थाना झिंझाना पुलिस द्वारा ग्राम टोडा में हुई जहर देकर हत्या कर देने के मामले में 01 वाछिंत अभियुक्त गिरफ्तार।**

ज्ञात हो कि दिनांक 26.07.2025 को थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम टोडा में जहर देकर हत्या कर देने के संबंध में मृतका के परिजनो द्वारा थाना झिंझाना पर लिखित तहरीर दी गई । दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया । पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश प्रभारी निरीक्षक झिंझाना को दिये गये थे

इसी क्रम में आज दिनांक 29.06.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/हत्या में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी से सम्बन्धित अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम टोडा में हुई जहर देकर हत्या करने के मामले में 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमो का गठन किया गया है। शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

**नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-**

1.दिनेश पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम टोडा थाना झिंझाना जनपद शामली।

**आपराधिक इतिहास अभियुक्त दिनेश -**

1.मु0अ0सं0 355/2025 धारा 103(1) बीएनएस  थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 416/16 धारा 147, 353, 427, 435 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

कोतवाली झिंझाना
हेल्प डेस्क
जन सुनवाई
झिंझाना जनपद शामली

**थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 जिलाबदर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध छुरा बरामदः-**

आज दिनांक 29.07.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे जिलाबदर अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 जिलाबदर अभियुक्त गुलबहार पुत्र इलियास निवासी मौहल्ला खैलकलां ईदगाह रोड कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से 01 अवैध छुरा बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदागी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। उक्त अभियुक्त को जिलाधिकारी शामली के आदेश दिनांक 24.06.2025 को जिलाबदर घोषित किया गया था।

**नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-**

1.गुलबहार पुत्र इलियास निवासी मौहल्ला खैलकलां ईदगाह रोड कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।

**बरामदगी का विवरणः-**

1.अवैध 01 चाकू।

**आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्त-**

1.मु0अ0सं0 13/2024 धारा 147/504/506 भादवि थाना कैराना जनपद शामली

2.मु0अ0सं0 447/2025 धारा 4/25 अयुद्ध अधि0 व 10 यूपी गुण्डा अधि0 थाना कैराना जनपद शामली

3.मु0अ0स0 567/2023 धारा 120बी/323/354ख भादवि थाना कैराना जनपद शामली

**उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में अलग अलग 03 मामले में 03 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई सजा व 8,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-**

1.-वर्ष 2003 में अभियुक्त सलीम पुत्र रशीद निवासी मौहल्ला पीर थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 70/2003 धारा- 392/506/411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 29.07.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2.-वर्ष 2024 में अभियुक्त खालिद पुत्र कय्यूम निवासी मौहल्ला नीलगरान चौक जलालाबाद थाना आदर्शमण्डी शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 104/2024 धारा- 414 भादवि व 4/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 29.07.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएसडी कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि व 01 वर्ष 02 माह की सजा व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

3.-वर्ष 2001 में अभियुक्त शहजाद पुत्र लूथ निवासी मौहल्ला नई बस्ती  थाना काँधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 06/2001 धारा-147,323,504,506 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 29.07.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएसडी/जेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए मननीय न्यायालय बैठने तक की सजा व 25,00/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

**थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा पुलिस अभिरक्षा से फरार, नाबालिग से छेडछाड़, दुष्कर्म करने के मामले में वांछित/ 25000/- रुपये का इनामी 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-**

ज्ञात हो कि दिनांक 13.07.2025 को थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के संबंध में पीड़िता के परिजन द्वारा थाना कोतवाली शामली पर नामजद लिखित तहरीर दाखिल की गई थी । दाखिला तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था । दिनांक 14.07.2025 को मुख्य आरोपी मोहित पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम निरपुडा थाना दोघट, जनपद बागपत तथा सहअभियुक्त सोनू ठेकेदार पुत्र बिजेन्द्र कश्यप निवासी ग्राम नसीरपुर थाना तितावी जनपद मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश करने हेतु वास्ते मेडिकल कराने जिला अस्पताल शामली भेजा गया था जहां से अभियुक्त सोनू ठेकेदार उपरोक्त पुलिस पार्टी को चकमा देकर फरार हो गया था । जिसके सम्बन्ध में थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया था ।

आज दिनांक 29.07.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में तथा पुलिस अभिरक्षा से फरार वांछित/25000/- रुपये का इनामी 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली/थाना आदर्शमण्डी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है

**नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-**

1.सोनू ठेकेदार पुत्र बिजेन्द्र कश्यप निवासी ग्राम नसीरपुर थाना तितावी जनपद मुजफ्फरनगर ।

अपर पुलिस अधीक्षक/
नोडल अधिकारी SPEL 2.0
जनपद शामली
Shot on OnePlus

**थाना कोतवाली शामली/झिंझाना द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्तगण गिरफ्तारः-**

आज दिनांक 29.07.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शामली/थाना झिंझाना पुलिस द्वारा वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तगण के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थानो पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-**

1.अंकुर पुत्र मैनपाल जाति जोगी निवासी मौहल्ला पंसारियान थाना कोतवाली शामली हाल पता मुण्डेट कलां थाना आदर्शमण्डी।

2.देवेन्द्र कुमार पुत्र मामन निवासी ग्राम पटनी आनन्दपुर थाना झिंझाना जनपद शामली।

**<u>एसओजी टीम व थाना कोतवाली शामली पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में सिम्भालका बाईपास पर धागा व्यापारी के मुनीम व चालक से हुई लूट की घटना में वांछित 25,000/- रुपये का ईनामी हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार, कब्जे से लूटी गई नगदी 55,000/- रुपये, अवैध हथियार-कारतूस व मोटर साईकिल बरामद ।</u>**

ज्ञात हो कि दिनाँक 03.06.2025 को सूचना प्राप्त हुई कि थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत सिम्भालका बाईपास पर मेरठ से पानीपत जाते समय पानीपत निवासी धागा व्यापारी के ड्राईवर सतनाम पुत्र दर्शन निवासी नूर वाला थाना जनपद पानीपत व मुनीम अनिल पुत्र स्वरूप निवासी कहलपा थाना बडौदा जनपद सोनीपत से भारत सरकार लिखी बुलेरो सवार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा स्वंय को जीएसटी अधिकारी बताकर चेकिंग के लिये गाड़ी रुकवाकर रुपये लेकर थाना किला जनपद पानीपत हरियाणा में आने की बात कहकर चले गये है। सूचना पर तत्काल श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर व अन्य सभी उच्चाधिकारीगण, थाना कोतवाली शामली पुलिस, एसओजी/सर्विलांस, फील्ड़ यूनिट की टीमों द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किये गये। घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 274/2025 धारा 309(4) बीएनएस मे पंजीकृत किया गया था। घटना की गंभीरता के दृष्टिगत घटना के अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा 04 टीमों का गठन कर घटना का यथाशीघ्र अनावरण किये जाने के निर्देश दिये गये थे। एसओजी टीम शामली व थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा दिनाँक 08.06.2025 को घटना का सफल अनावरण करते हुये घटना में लिप्त अभियुक्तगण मोहित, शुभम उर्फ गौरव, अमरजीत, गुलशन, रवि को बाद पुलिस मुठभेड़ लूटी गयी नगदी 10 लाख रुपये, अवैध हथियार-कारतूस एवं गाड़ी सहित व दिनाँक 01.07.2025 को अभियुक्त राहुल को पुलिस मुठभेड़ में लूटी गई नगदी, अवैध हथियार-कारतूस व मोटर साईकिल सहित गिरफ्तार किया गया था तथा अभियुक्त रोहन भाटी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया था। अभियुक्त रोहन को पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड पर लेकर लूटी गई नगदी बरामद की गयी थी। गठित टीमों द्वारा घटना में लिप्त शेष अभियुक्तगण की तलाश की जा रही थी।

इसी क्रम में दिनांक 28.07.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार व अपर पुलिस अधीक्षक शामली व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में चलाये जा रहे चोरी/लूट की घटनाओं के अनावरण एवं इनमें लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में एसओजी शामली व थाना कोतवाली शामली पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 03.06.2025 को हुई उपरोक्त घटना में वांछित 25,000/- रुपये के ईनामी हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त लुकमान उर्फ लुक्की पुत्र जमशेद निवासी ग्राम भनवाड़ा थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर को चैकिंग के दौरान ग्राम बहावड़ी मार्ग पर हुई पुलिस मुठभेड में आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में घायल/गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। अभियुक्त के कब्जे से लूटी गयी नगदी 55,000/- रुपये, 01 अवैध तमंचा 01 खोखा कारतूस व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक मोटर साईकिल स्पलेण्डर बरामद हुई है। घायल अभियुक्त

को उपचार हेतु सीएचसी शामली में भर्ती कराया गया है। घायल अभियुक्त थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर का प्रचलित हिस्ट्रीशीटर अपराधी है। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घायल अभियुक्त का एक साथी मौके से फरार हुआ है। फरार अभियुक्त की तलाश हेतु काम्बिंग की जा रही है।

**नाम व पता अभियुक्तः-**

1.लुकमान उर्फ लुक्की पुत्र जमशेद निवासी ग्राम भनवाड़ा थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर।

**बरामदगी का विवरणः-**

1.लूटी गयी नगदी 55,000/- रुपये।

2.एक अवैध तमंचा मय 01 खोखा व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

3.एक मोटर साईकिल हीरो स्पलेण्डर बिना नम्बर प्लेट।

**आपराधिक इतिहास अभियुक्त लुकमान उर्फ लुक्की उपरोक्तः-**

1.मु0अ0सं0 400/2007 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर।

2.मु0अ0सं0 139/2012 धारा 110 जी द0प्र0सं0 थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर।

3.मु0अ0सं0 207/2016 धारा 363/366/376/368 भादवि व 3/4 पोक्सो अधिनियम थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर।

4.मु0अ0सं0 76/2016 धारा 392/411 भादवि थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर।

5.मु0अ0सं0 144/2014 धारा 41/102 द0प्र0सं0 व 411/420/467/468/471 भादवि थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर।

6.मु0अ0सं0 391/2014 धारा 392/411 भादवि थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।

7.मु0अ0सं0 395/2014 धारा 379 भादवि थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।

8.मु0अ0सं0 412/2014 धारा 379 भादवि थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।

9.मु0अ0सं0 437/2014 धारा 379 भादवि थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।

10.मु0अ0सं0 454/2014 धारा 379 भादवि थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।

11.मु0अ0सं0 461/2014 धारा 379 भादवि थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।

12.मु0अ0सं0 निल/2014 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।

13.मु0अ0सं0 80/15 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।

14.मु0अ0सं0 232/2015 धारा 379/411/290 भादवि थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।

15.मु0अ0सं0 313/2015 धारा 392 भादवि थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।

16.मु0अ0सं0 299/2016 धारा 379 भादवि थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।

17.मु0अ0सं0 412/2016 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।

18.मु0अ0सं0 129/2019 धारा 307 भादवि थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर।

19.मु0अ0सं0 130/2019 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर।

20.मु0अ0सं0 131/2019 धारा 41/102 द0प्र0सं0 व 414 भादवि थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर।
21.मु0अ0सं0 274/2025 धारा 310(2)/61(2)(ए) बीएनएस थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
22.मु0अ0सं0 369/2025 धारा 109(1)/317(5) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

**<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>**

1.प्र0नि0 श्री वीरेन्द्र कसाना थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
2.उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
3.उ0नि0 श्री कुलदीप कुमार एसओजी टीम जनपद शामली।
4.है0का0 विकास पूनिया थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
5.का0 अंकित मावी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
6.है0का0 सोहित थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
7.है0का0 ललित कुमार एसओजी टीम जनपद शामली।
8.है0का0 हरवेन्द्र कुमार एसओजी टीम जनपद शामली।
9.का0 दीपक सिंह एसओजी टीम जनपद शामली।
10.का0 राममूर्ति तेजा एसओजी टीम जनपद शामली।
11.का0 ललित चौधरी एसओजी टीम जनपद शामली।
12.का0 चालक निखिल भाटी एसओजी टीम जनपद शामली।
13.का0 अंकित मावी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

**SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI**